संख्या-1/2/2001-का-प्रसको- 2003

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ, लखनऊ: दिनाँक: 04 जुलाई, 2003

विषय:- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आरक्षण नीति से संबंधित पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है, कि शासन द्वारा सभी विभागों के आधारभूत एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आरक्षण नीति विषयक पाठ्यक्रम को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है । अत: अनुरोध है, कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन प्रशिक्षण संस्थानों के निदेशकों/ प्रधानाचार्यों को भारतीय आरक्षण नीति एवं प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति से संबंधित पाठ्यक्रमों को सम्मिलित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

राजेन्द्र भौनवाल
प्रमुख सचिव ।

संख्या-1/2/2001(1)-का-प्रसको-2003, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त निदेशक/प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश ।
3. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे अकादमी द्वारा संचालित किये जाने वाले समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही संपादित करने का कष्ट करें ।
4. निदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब , लखनऊ को , नोडल संस्थान होने के दृष्टिगत समन्वय / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् ।
5. निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, जवाहर भवन लखनऊ को उनके द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के अनुरोध के साथ प्रेषित ।

आज्ञा से,

मुइयाँदीन ।
विशेष सचिव ।